राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/जयपुर/2019–20 29093-106 दिनांक : 23/07/19

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद,
जयपुर।

विषयः– ग्राम पंचायत मानोता के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः– आपका पत्रांकं 1253–56 दिनांक 10.06.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 10300–306 दि. 23.02.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद, जयपुर, से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत **(राशि लाखो में)**

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कानडियावाला	मानोता/ जमवारामगढ़	10300–06 23.02.2019	5.00	3159/ 29.5.19	5.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–78/2018–19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राशि मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावें। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**

5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.बवउ पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
9. सामुदायिक निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति के साथ पट्टा की प्रति संलग्न करें। निर्माण पश्चात सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि हस्तान्तरित की जावें।
10. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
11. सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में कॉलम स्ट्राक्चर निर्माण की प्राथमिकता प्रदान की जावें।

भवदीय,

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त

क्रमांक – एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/जयपुर/2019–20 29093-106 दिनांक : 23/07/19

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 78/2018–19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त, जिला परिषद, जयपुर को राशि 5.00 लाख रु हस्तान्तरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।

10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर/जयपुर को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)